भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4320
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

शी-बॉक्स शिकायतें

4320. **श्री संजय उत्तमराव देशमुखः**
क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र के यवतमाल और वाशिम जिलों से विशेष रूप से शी-बॉक्स पोर्टल के माध्यम से दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त जिलों में कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक परिवाद समितियों (आईसीसी) के कार्यकरण को सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) द्वारा हाल ही में शी-बॉक्स पोर्टल, जिसमें 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' (एसएचअधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों को विधिवत शामिल किया गया है का आरम्भ किया गया है । इस पोर्टल पर दिनांक 19.12.2024 तक कुल 18 शिकायतें दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल और वाशिम जिलों के जिला नोडल

अधिकारी (डीएनओ) और स्थानीय समिति (एलसी) शी-बॉक्स पोर्टल पर पंजीकृत हैं। तथापि, महाराष्ट्र राज्य से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग): शी-बॉक्स पोर्टल देश भर में गठित आंतरिक समितियों (आईसी) और स्थानीय समितियों (एलसी) से संबंधित सूचनाओं का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध केंद्रीकृत भंडार प्रदान करता है, चाहे वह सरकारी या निजी क्षेत्र में हो । इस पोर्टल में यह सुविधा है कि इस पर दर्ज शिकायतें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और निजी क्षेत्र में संबंधित कार्यस्थलों के आईसी/एलसी को स्वतः भेज दी जाएंगी। इस पोर्टल में प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने का प्रावधान है जिसे शिकायतों की तत्काल निगरानी के लिए नियमित आधार पर आंकड़ों/सूचनाओं को अद्यतन करना होता है।

यह शी-बॉक्स वैधानिक अथवा नियामक निरीक्षण के लिए एक तंत्र नहीं है बल्कि विभिन्न कार्यस्थलों पर गठित आईसी और एलसी के बारे में जानकारी के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक केंद्रीकृत आई टी सहायता के रूप में ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करना है ताकि कोई भी पीड़ित महिला सुरक्षित और सरल तरीके से शिकायत दर्ज कर सके और इसकी प्रगति पर नज़र रख सके। एसएच अधिनियम संबंधित सरकार को इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने और दायर तथा निपटाए गए मामलों की संख्या पर आंकड़े तैयार करने का अधिदेश देता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा एसएच अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन तथा कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समितियों (आईसी) की कार्यप्रणाली सहित इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है जिसमें शामिल है:

i. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर एक लघु पुस्तिका भी जारी

की है। इस लघु पुस्तिका में अधिनियम के बारे में जानकारी सरल और व्यावहारिक तरीके से दी गई है। इस लघु पुस्तिका की सॉफ्ट कॉपी व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है और इसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों को भी भेजा गया है।

ii. मंत्रालय ने कार्मिकों के प्रशिक्षण और लिंग संवेदीकरण कार्यक्रमों के लिए सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) के सहयोग से एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है।

iii. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने भी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर परामर्श जारी कर जांच को समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण अधिनियम के तहत दायर/निपटाए गए मामलों की संख्या से संबंधित सूचना को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने को कहा है।

iv. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एसएच अधिनियम के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, हर वर्ष 9 दिसंबर को यौन उत्पीड़न अधिनियम का अधिनियमन दिवस मनाता है और इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी क्षेत्रों (केंद्र सरकार/राज्य सरकार/निजी निकाय/व्यापार संगठन/शैक्षणिक संस्थान/और अन्य संगठनों सहित) को पत्र/परामर्श जारी करता है और साथ ही यदि आंतरिक समिति/स्थानीय समिति का गठन किया गया है नहीं, तो तत्काल गठित करने के लिए भी कहता है। मंत्रालय शी-बॉक्स पोर्टल के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, संगठनों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार संपर्क में रहता है ताकि कार्यस्थल से संबंधित उत्पीड़न का सामना करने वाली कोई भी महिला पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठा सके।

*****